राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः— एफ16(16)(5)परि/लेखा/राजस्व/ई—ग्रास/2018/4783 जयपुर, दिनांक 08/03/18

परिपत्र

राज्य में समस्त भार वाहनों की कर वसूली का कार्य 25 मार्च, 2018 से पूर्व सुनिश्चित किया जाना है। मोटर वाहन करों की अदायगी में ऑनलाईन इन्टरफेस को बढावा देने तथा अभिलेख का सम्पूर्ण Digitization सुनिश्चित किए जाने के उद्धेश्य से माह मार्च 2018 के दौरान कर संग्रहण कार्य के लिए निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैः—

A. **कर संग्रहण राशि केवल निम्न तीन माध्यमों से जमा की जा सकेगीः—**

1. ई—ग्रास के माध्यम से ई—बैंकिग द्वारा
2. ई— ग्रास के माध्यम से राशि जमा कराने हेतु चालान विभाग के अधिकृत काउन्टर्स पर तैयार कर उपलब्ध कराया जावेगा ताकि वाहन स्वामी/जमाकर्त्ता द्वारा अधिकृत बैंक शाखा में जाकर कर जमा कराया जा सके।
3. वाहन सॉफ्टवेयर के जरिए काउन्टर पर 5000 से अधिक राशि का कर भी जमा कराया जा सकेगा।

* **किसी भी स्थिति में कर संग्रहण हस्तलिखित (मैन्युअल) नही लिया जावेगा।**

B. चूंकि यह व्यवस्था राज्य में कर संग्रहण वास्ते पहली बार अमल में लायी जा रही है अतः करदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए व्यापक प्रचार—प्रसार अत्यंत आवश्यक है इस हेतु निम्न कार्यवाही प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा सम्पादित की जावेगी।

1. प्रादेशिक/जिला परिवहन/उप परिवहन कार्यालय आवश्यक्तानुसार ऑफिस में अथवा ऑफिस से बाहर अतिरिक्त काउन्टर लगाकर कर संग्रहण को तेजी प्रदान करेंगें। यदि आवश्यकता हो तो इन्टरनेट के लिए डॉन्गल इत्यादि डिवायस प्रयोग में लेंगे। परन्तु Offline कर जमा नहीं किया जावेगा।
2. कार्यालय परिसरों में (उप परिवहन कार्यालय सहित) सहज दृश्य स्थान पर एक 8'X4' फीट का संलग्न प्रारूप अनुसार बैनर लगायेंगें जो की सभी कार्यालयों में एक समान तरह का होगा। इसके लिए फॉरमेट साथ संलग्न किया जा रहा है। अन्य प्रमुख स्थलों यथा कर संग्रह केन्द्र, ट्रांसपोर्ट यूनियन एवं टॉल टैक्स प्लाजा पर भी आवश्यक्तानुसार बैनर लगाये जावें। लगाये गए बैनर का फोटोग्राफ मुख्यालय को प्रेषित किया जावेगा.
3. मोटर वाहन उपनिरीक्षक/निरीक्षक को जिले में आवंटित कार्यक्षेत्र समस्त ट्रकों/वाहनों का कर निर्धारित समयावधि में उपरोक्त प्रणाली के अनुसार जमा करवाने का दायित्व होगा।
4. करदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु इस आशय के समाचार को प्रमुखता से सभी मुख्य—मुख्य दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय प्रकाशनों में निरन्तर रूप से छपवायें।
5. माह मार्च 2018 मे सभी राजकीय अवकाशों के दिन भी कार्यालय तथा लगाये गए काउन्टर्स दिन भर खुले रहेंगें। राजकीय अवकाश दिनों में केवल कर संग्रहण कार्य ही किया जावेगा।

C.

1. उक्त परिवर्तित व्यवस्था अनुसार अब परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक के स्तर पर कोई कर संग्रहण नही किया जावेगा। परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षकों द्वारा मुख्य मार्गों पर संघन प्रवर्तन कार्यवाही की जावेगी ताकि करवंचना की संभावना नगण्य हो सकें
2. उक्त व्यवस्था का प्रभावी पर्यवेक्षण सम्पर्क पोर्टल से संबंधित क्षेत्रवार मुख्यालय प्रभारी नियुक्त एल—3 अधिकारियों द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

Scanned by CamScanner

क्रमांकः— एफ16(16)(5)परि/लेखा/राजस्व/ई—ग्रास/2018/4784-88 जयपुर, दिनांक 08/03/18

प्रतिलिपीः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त महोदय
2. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त, प्रशासन
3. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।
5. सिस्टम एनालिस्ट, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड़ कराने की कार्यवाही करावें।

(जे.पी.मीणा)
वित्तीय सलाहकार

Scanned by CamScanner

8 ft.

4 ft.

परिवहन विभाग, राजस्थान ....

कर जमा करवाने की अन्तिम तिथि–
25 मार्च, 2018

बस एवं ट्रक ऑपरेटर्स के लिए आवश्यक सूचना

1. मार्च 2018 मे वाहन कर (टैक्स) हस्तलिखित (मैनुअल) रसीदों द्वारा जमा नहीं होगा।

2. ई–ग्रास के माध्यम से ई–बैंकिंग अथवा चालान सृजित कर निर्धारित बैंक शाखा में राशि जमा की जा सकेगी।

3. वाहन सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी राशि की नगद रसीद जारी की जा सकेगी।

कार्यालय के अतिरिक्त (स्थान का नाम जहां कैम्प लगाना है)........................) पर भी कर जमा के लिए काउन्टर्स की व्यवस्था की गई है।

सभी राजकीय अवकाशों में भी कर संग्रह कार्य किया जावेगा।

Activate Windows
Go to Settings to activate

Scanned by CamScanner